[ 26/2/2021]

प्रश्न सं. [ क्र. 1159 ]

# — न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा —

राजस्व प्रकरण क्रमांक /18/अ–19(3)/2011–12
मौजा ग्राम खिरसाडोहमाल ब0नं0 104 प0ह0नं0 15
तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा।

महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं,
मध्यप्रदेश,
भोपाल
द्वारा जेल विभाग,
छिन्दवाड़ा (म0 )

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

## आदेश

**(पारित दिनांक 4 जून, 2012)**

आवेदित विभाग महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने अर्द्ध–शासकीय पत्र क्रमांक–3425, दिनांक 24.2.2012 द्वारा लेख्य किया गया है कि मौजा ग्राम–खिरसाडोह, ब0नं0–104, प0ह0नं0 15, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा स्थित खसरा नबर 16/1 का कुल रकबा 13.406 हेक्टेयर शासकीय भूमि मद पहाड–चटटान की भूमि उप–जेल निर्माण हेतु सुरक्षित करने का अनुरोध किया गया है ।

2. तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) परासिया से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। उनके द्वारा अपने जॉच प्रकरण क्रमांक 01/अ–19(3)/2011–12 प्रतिवेदन दिनांक 30.5.2012 के अनुसार प्रतिवेदित किया गया है । ग्राम में इश्तहार का प्रकाशन किया गया तथा स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत खिरसाडोह, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से अभिमत प्राप्त किया गया । स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत खिरसाडोह ने उप जेल निर्माण हेतु कोई आपत्ति नही है का लेख्य किया है । कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ने उप जेल निमार्ण में विभाग को कोई आपत्ति नही है का अभिमत दिया है एवं मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल ने लाईनों से सुरक्षित दूरी रखते हुए किसी तरह का निर्माण कार्य किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई ।

3. प्रश्नाधीन भूमि आबंटन के संबंध में ग्रम खिरसाडोह के पटवारी हल्का नंबर 15 राजस्व निरीक्षण मण्डल परासिया से बिन्दुवार प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है

मौजा ग्राम–खिरसाडोहमाल, ब0नं0–104, प0ह0नं0 15, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा स्थित खसरा नबर 16/1 का कुल रकबा 13.406 हेक्टेयर चयनित भूमि का मद पहाड–चटटान है, चयनित भूमि किसी भी प्रजाति की इमरती एवं फलदार वृक्ष नही मौके पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नही है, किसी धार्मिक समुदाय का मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा इत्यादि निर्मित नही है। ग्राम के खाते का रकबा 384.219 हेक्टेयर, ग्राम के खाते के रकबे का 2 प्रतिशत 7.684 हेक्टेयर के विरूद्ध चरनोई का रकबा 23.971 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ।

4. तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया ने अपने प्रतिवेदन में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा–237 की उपधारा 1 के तहत मौजा ग्राम–खिरसाडोहमाल, ब0नं0–104, प0ह0नं0 15, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा स्थित खसरा नबर 16/1 का कुल रकबा 13.406 हेक्टेयर में से 4.000 हेक्टेयर शासकीय भूमि मद पहाड–चटटान महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, जेल विभाग के नाम से आबंटित किया जाना प्रस्तावित किया है ।

5. प्रकरण का अद्योपांत अवलोकन किया गया। जॉच अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया द्वारा की गई जॉच एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा ग्राम–खिरसाडोहमाल, ब0नं0–104, प0ह0नं0 15, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा स्थित खसरा नबर 16/1 का कुल रकबा 13.406 हेक्टेयर में से 4.000 हेक्टेयर शासकीय भूमि मद पहाड–चटटान मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237(3) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत मद से पृथक की जाकर, नगर बाह्य नजूल घोषित कर तहसीलदार परासिया द्वारा तैयार किये गये नक्शा लाल स्याही अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार क्रमांक–2 की कंडिका–5 के अंतर्गत आवादेत विभाग महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, जेल विभाग को निम्न शर्तों के अधीन अन्तरित की जाती है :–

(1) उक्त आबंटित भूमि का उपयोग उक्त निर्धारित प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।

(2) भूमि का निर्धारित समयावधि में निर्धारित उपयोग न होने की स्थिति में भूमि वापस ली जा सकेगी।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण कार्य करने के पूर्व आवेदित विभाग को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से निकाय अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम पंचायत से प्राप्त कर उनके द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के चारों दिशा में मार्ग विस्तार हेतु निर्धारित भूमि छोड़कर निर्माण कार्य किया जावेगा तथा आवश्यक विकास नाली निर्माण, प्रकाश व्यवस्था करायी जावेगी।

(5) पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से प्रश्नाधीन आबंटित भूमि पर चारों ओर मार्ग के किनारे वृक्षारोपण कराया जाकर वृक्षों के सरक्षण की दृष्टि से आवश्यक उपाय कराया जावेगें।

(6) तहसीलदार परासिया द्वारा तैयार किये गये नक्शे में दर्शित मार्ग के अनुसार आवेदित विभाग निर्माण कार्य करेगा।

आदेश की प्रति आवेदित विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), परासिया, तहसीलदार परासिया की ओर भेजी जाकर, तहसीलदार परासिया को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त आबंटित शासकीय भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती कर मौके पर आवेदित विभाग को आधिपत्य सौंपे।

आदेश पारित एवं उद्घोषित।

(महेशचन्द्र चौधरी)
कलेक्टर,
छिन्दवाड़ा।

## —: न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाडा :—

पृ0क्रमांक / 354 / आर0दो0(एच) / 2012, छिन्दवाडा, दिनांक 8 जून, 2012

**प्रतिलिपि :–**

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया / तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाडा की ओर इस न्यायालय न्यायालय के प्रकरण क्रमांक–18 / अ–19(3) / 2011–2012 पक्षकार महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जेल विभाग छिन्दवाडा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 04.06.2012 की प्रति पालनार्थ अग्रेषित ।

संयुक्त कलेक्टर,
ओर से कलेक्टर, छिन्दवाडा

कार्यालय ...
क्र. ...2.5.2
दिनांक ...8. 6.12

भवन
8/6/12

कार्या... 8.06.2012
क्रमांक/ 1555 ...12

प्रति,
महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, म.प्र., भोपाल की ओर आदेश प्रति मूलतः अग्रेषित ।

Regd

8/6/12
अधीक्षक
जिला जेल ... (म.प्र.)